(ख) क्या यह भी सच है कि ये दोनों डाकघर एक दूसरे से केवल 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दो डाकघरों के बीच डाक ले जाने के लिये यातायात सुविधाएं या अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(घ) क्या इन दो डाकघरों के बीच सीधी डाक सेवा आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) मौजूदा डाक व्यवस्था के अधीन लालसीट से बावनवास तक पहुंचने में एक पोस्टकार्ड को 429 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है । दूसरी ओर बावनवास से लालसीट तक पहुंचने में उसी पोस्टकार्ड को 317 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है । ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न रेल व्यवस्थाओं का प्रयोग उनके उपलब्ध होने पर किया जाता है ।

(ख) बस मार्ग पर लालसीट और बावनवास के डाकघर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तथा (ङ). अभी तक परियात की मात्रा इतनी नहीं थी कि लालसीट और बावनवास के मध्य सीधी डाक सेवा चालू करने का औचित्य सिद्ध हो सके । फिर भी इस मामले में और अधिक जांच की जा रही है ।

चकसू (राजस्थान) में टेलीफोन कनक्शन

330. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर, राजस्थान के चकसू खंड (डिस्ट्रिक्ट) के कई पक्षों ने नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं ;

(ख) क्या कुछ पक्षों ने मांग सूचनाओं (डिमांड नोटिस) की राशि भी जमा कर दी है ;

(ग) क्या इसके बावजूद उनको टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) यदि टेलीफोन कनेक्शन लगाये जा जा रहे हैं, तो वे किस समय तक कार्य करना आरम्भ करेंगे ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) चकसू में नये कनेक्शनों के लिए कुल 17 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 11 प्रार्थना-पत्र 14 अक्तूबर, 1967 को प्राप्त हुए थे ।

(ख) इन प्रार्थियों में से किसी को भी न तो मांग-पत्र की अदायगी करने के लिए कहा गया है और न ही किसी ने अदायगी की है ।

(ग) तथा (घ). उक्त (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) चकसू में 25 लाइनों के एक स्वचल टेलीफोन केन्द्र की स्थापना की मंजूरी दी जा चुकी है और इस टेलीफोन केन्द्र की स्थापना हो जाने के पश्चात् सभी प्रार्थियों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ।

गंगापुर सिटी तथा सवाई माधोपुर के बीच टेलीफोन सम्पर्क

331. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगापुर सिटी (पश्चिमी रेलवे) तथा सवाई माधोपुर के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो यह टेलीफोन सम्पर्क कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर के बीच कोई सीधा टेलीफोन सम्पर्क नहीं है ।

(ख) लगभग एक वर्ष की अवधि के भीतर ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

REMISSION OF LAND REVENUE

332. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether several State Governments have recently decided to remit land revenue;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of the Central Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1528/67].

(c) Since land revenue is a State subject, the State Governments do not consult the Central Government in this connection. Therefore, the question of Central Government's reaction in the matter does not arise.

PUBLICATION OF LAWS IN REGIONAL LANGUAGES

333. SHRI S. C. SAMANTA :
SHRI CHANDRA SEKHAR SINGH :

Will the Minister of LAW be pleased to state :

(a) the steps being taken to publish the Laws in the various regional languages in India;

(b) whether any plan has been chalked out in this connection;

(c) whether any necessary machinery has been created to speed up the work, and if so, what; and

(d) whether all the work contemplated will be completed in five years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) to (d). The translation of Central laws as well as the State Laws into the various regional languages was one of the points discussed in a conference of Law Ministers of States held on the 1st September, 1967. It was generally agreed at the conference that the translation of Central laws into Regional languages other than Hindi should be done at the Central level or under the auspices of the Centre in close collaboration with the appropriate agency at the State level, and that the translation of State laws into the respective regional languages should be the responsibility of the State Government concerned. The machinery to be employed for the translation of Central laws into the regional languages and the formulation of a phased programme to achieve this object are proposed to be considered in consultation with the State Governments. It is not possible at this stage to say when it will be possible to have the work completed.

REPORT ON GENERAL ELECTIONS

334. SHRI S. C. SAMANTA :
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR :

Will the Minister of LAW be pleased to state :

(a) the time by which the report on the Fourth General Elections is likely to be submitted to Government by the Election Commission;

(b) whether interim report or impressions of the Commission have been submitted and if so the main features thereof; and

(c) whether reports from various State Chief Electoral Officers have been received by the Commission ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) Volume II (Statistical)